

माँ महामाया सहकारी शवकर कारखाना मर्यादित् अम्बिकापुर

ग्राम केरता जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

पंजीयन क्रमांक-डी.आर./अम्बिकापुर/2121 दिनांक 15 अक्टूबर 2006

पेराई सत्र 2020-21 की सह-उत्पाद बगास विक्रय हेतु तृतीय ई-निविदा प्रपत्र

**भाग - 2 (तकनीकी भाग)**



**कारखाना स्थल : ग्राम-केरता, तहसील-प्रतापपुर,  
जिला - सूरजपुर (छ0ग0)**

फार्म का नाम व पता

.....  
.....  
.....



निविदा फार्म जारीकर्ता के हस्ताक्षर

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित-अम्बिकापुर अम्बिकापुर ग्राम केरता

## सह-उत्पाद बगास विक्रय हेतु ई-निविदा प्रपत्र

तृतीय ई-निविदा क्रमांक : 4607(1)

दिनांक : 06/10/2021

(नोट: निविदा फार्म तीन भागों में है जिसमें प्रथम भाग को ई0एम0डी0 भाग - एक में रखा जाएगा द्वितीय भाग तकनीकी भाग जिसे भाग - दो में रखा जाएगा और तीसरे भाग को व्यावसायिक भाग जिसे भाग - तीन में ऑनलाईन भरा जावेगा, ई-निविदा में निविदाकारों द्वारा भाग लेने के लिए ई-निविदा की बेब-साईट में जाकर फार्म राशि 1311.00 रुपये (1000.00 रुपये + 311.00 रुपये चिप्स के द्वारा ली जाने वाली सर्विस चार्ज) ऑनलाईन के माध्यम से जमा कर शासकीय बेब-साईट (E-Procurement Portal :- <https://eproc.cgstate.gov.in>)से फार्म Upload किया जाना है प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। किसी फर्म/व्यवसायी के प्रतिनिधि द्वारा निविदा प्रस्तुत किया जाता है, तो इस आशय का अधिकार - पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा)

निविदा प्रपत्र का विक्रय मूल्य = 1000.00 (एक हजार रुपये मात्र)

तकनीकी भाग (लिफाफा-दो में रखें)

प्रति,

प्रबंध संचालक ,  
माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना  
मर्यादित- अम्बिकापुर



आपके कारखाना द्वारा प्रकाशित तृतीय ई-निविदा क्रमांक 4607(1) दिनांक 06/10/2021 व्यावसायिक भाग में (लिफाफा-तीन) दर्शाए अनुसार बगास की मात्रा उनके सामने दर्शाए गये मूल्य पर क्रय करने हेतु दर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं/मेरे फर्म द्वारा बगास क्रय/विक्रय/परिवहन/भण्डारण से संबंधित अधिनियमों/नियमों और केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा तत्संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के साथ ही माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित-अम्बिकापुर द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानदण्डों का पालन करने की सहमति देता हूँ।

### एक - व्यवसायी/फर्म का विवरण -

1. फर्म का नाम एवं पूर्ण पता - .....  
.....  
.....
2. मालिक/संचालक का नाम .....
3. दूरभाष/मोबाईल नम्बर .....
4. ई-मेल आई.डी. .....
5. पैन नम्बर .....
6. जी.एस.टी. नम्बर .....

## दो - व्यवसायी/फर्म के प्रतिनिधि का विवरण :-

यदि प्रतिनिधि के माध्यम से निविदा प्रस्तुत किया जा रहा हो तो प्रतिनिधि के संबंध में निम्नानुसार विवरण अनिवार्य रूप से दिया जावे -

1. प्रतिनिधि का नाम एवं पूर्ण पता - .....  
.....  
.....

2. दूरभाष/मोबाईल नम्बर .....  
.....

3. ई-मेल आई.डी. .....  
.....

4. पता .....  
.....

मै माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित-अनिवार्य प्रस्तुत किया जारी तृतीय ई-निविदा क्रमांक 4607(1) दिनांक 06/10/2021 के लिए श्री/मेसर्स.....  
.....पता.....


..... की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। उक्त फर्म द्वारा मुझे इस कार्य हेतु अधिकृत किया गया है। अधिकार पत्र इस निविदा के तकनीकी भाग में लिफाफा-दो में सलग्न कर रहा हूँ। मेरे द्वारा दी गई समरत जानकारी सही और सत्य है। मैंने बगास विक्रय से संबंधित नियमों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है। जो मुझे मान्य है। इस निविदा के संबंध में मेरे द्वारा किया गया प्रत्येक कृत्य निविदा से संबंधित फर्म/व्यवसायी, की ओर से किया गया माना जाएगा। किसी प्रकार से गलत पाये जाने पर मैं जिम्मेदार रहूँगा।

## निविदाकार/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

### तीन - निविदा का प्रस्तुतीकरण एवं खोलना -

निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने हेतु तीन लिफाफों का उपयोग करना अनिवार्य होगा। प्रथम लिफाफा “लिफाफा - एक” में ₹०एम०डी० जमा की पावती पावती की छायाप्रति संलग्न करना होगा। दूसरे लिफाफे “लिफाफा - दो” फर्म से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज फर्म का नाम, जी.एस.टी. प्रमाण पत्र., पैन प्रमाण पत्र, तीन वर्ष का आचकर रिटर्न अथवा तीन वर्ष का बैलेक्स सीट, की छायाप्रति संलग्न करना होगा। तथा तीसरे लिफाफे “लिफाफा - तीन” में निविदा दर संबंधी प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा।

निविदा समिति द्वारा सर्व प्रथम “लिफाफा - एक” खोला जाएगा जिसमें ₹०एम०डी० राशि कारखाने के खाते में जमा पाये जाने पर ही “लिफाफा - दो” खोला जाएगा। तकनीकी भाग मांगी गई सभी दस्तावेज सही पाये जाने पर ही “लिफाफा - तीन” खोला जाएगा।





## चार - निविदा की शर्तें :-

माँ महामाया सहकारी शब्दकोशी कारखाना मर्यादित- अधिकारी प्रिला संस्कृत भाषा के बगास क्रय करने वाले फर्म/व्यवसायी को नीचे उल्लेखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

1. बिन्दू क्रमांक तीन में उल्लेखित समस्त प्रमाण पत्र की फोटोकापी संलग्न करना अनिवार्य है।
2. बगास क्रय करने के लिए भाव पत्र न्यूनतम 2000 टन मात्रा की होगा एवं इससे कम मात्रा के लिये दर प्रस्तुत होने की स्थिति में निविदा अमान्य किया जाएगा।
3. कारखाना अपनी आवश्यकता का बगास सुरक्षित रखेगी, अतिरिक्त बगास ही विक्रय किया जावेगा।
4. बगास खरीदी हेतु निविदा फार्म में केवल एक ही दर प्रस्तुत करे एक से अधिक दरों पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. निविदा में दर का उल्लेख स्पष्ट रूप से अंकों एवं शब्दों में लिखा हुआ होना चाहिए। काट-छाँट होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।
6. विक्रय हेतु निर्धारित बगास अनुमानित मात्रा पेराई सत्र 2020-21 की 15000 मी.टन है, कारखाना प्रबंधन द्वारा मात्रा में कमी या वृद्धि की जा सकती है उक्त मात्रा हेतु प्रबंधन बाध्य नहीं होगी।
7. निविदा विज्ञप्ति अनुसार निविदा फार्म दिनांक 07/10/2021 को साम 05.00 बजे के बाद दिनांक 18/10/2021 को दोपहर 12.00 बजे तक इच्छूक फर्मों/निविदाकार द्वारा भाग लेने के लिए ई-टेंडर के वेबसाईट में जाकर ई-निविदा हेतु फार्म राशि 1311.00 रुपये (1000.00 रुपये 311.00 रुपये चिप्स द्वारा ली जाने वाली सर्विस चार्ज) ऑनलाईन के माध्यम से जमा कर शासकीय ऑनलाईन वेबसाईट (**E-Procurement Portal: <http://eproc.cgstate.gov.in>**) से फार्म डाउनलोड कर भरकर अपलोड कर सकते हैं।
8. निविदा दिनांक 18/10/2021 को दोपहर 01:00 बजे के बाद कारखाना कार्यालय में खोला जायेगा जिसमें निविदाकार/उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
9. दर स्वीकृत होने पर विक्रय आदेश की तिथि से 30 दिवस के अन्दर सम्पूर्ण मात्रा बगास की सम्पूर्ण राशि जमा किया जाना अनिवार्य होगा एवं आदेशित बगास की सम्पूर्ण मात्रा को 31/12/2021 तक उठाव किया जाना अनिवार्य होगा।
10. बगास का उठाव लगातार करना अनिवार्य होगा, बगास लेट उठाव से सम्बंधित क्षति को आपको वहन करना होगा।
11. निविदाकार को प्रचलित सभी कर/शुल्क का भुगतान पूर्थक से करना होगा।
12. निविदाकार को बगास की डिलवरी बगास कारखाना परिसर में से “जो है जैसा है” की स्थिति में दी जावेगी। बगास लोडिंग की व्यावस्था निविदाकार को ही करना होगा।
13. वाहनों का मानक लोडिंग क्षमता अनुसार लोडिंग दी जावेगी।
14. बगास का उठाव कार्यालयीन दिवसों में और कार्यालयीन समय पर ही किया जा सकेगा।
15. बगास डिलवरी लेते समय पार्टी खवयं या अपने प्रतिनिधि के समक्ष गाड़ी लोड करावें। विक्रय किया हुआ बगास कारखाने से बाहर ले जाने के बाद कारखाने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

16. जिस फर्म के नाम से विक्रय आदेश जारी की जाएगी बिल उसी के नाम से बनेगा।
17. क्रय की गई बगास की राशि अधिगम जमा करने पर ही बगास उठाव कराने दिया जाएगा।
18. क्रय की गई संपूर्ण बगास की राशि जमा एवं उठाव हेतु कायदिश में निर्धारित समय में नहीं होने पर ई.एम.डी. राशि जब्त कर ली जायेगी।
19. निविदा में भाग लेने हेतु यदि प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है तो इस आशय का अधिकार पत्र देना अनिवार्य होगा।
20. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय (सहकारिता विभाग) में ही वाद दायर किया जा सकेगा।
21. इस फर्म की 1 से 20 तक की नियम व शर्तें पूर्णतः समझकर मेरे द्वारा निविदाफर्म में नीचे हस्ताक्षर किया गया।

### निविदाकार/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

**पांच :- अध्यक्ष/प्रबंध संचालक/क्रय विक्रय समिति का अधिकार :-**

अध्यक्ष/प्रबंध संचालक अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/क्रय विक्रय समिति को निम्नानुसार अधिकार होगा।

1. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन/निगोशियेशन संबंधी संपूर्ण अधिकार।
2. अध्यक्ष/प्रबंध संचालक/उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/क्रय विक्रय समिति की दृष्टि में निविदा निरस्त करने योग्य कोई कारण हो तो किसी भी समय निविदा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में निविदाकार को कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
3. फर्म/व्यवसायी द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करने पर अमानत राशि जप्त करने/अन्य फर्म/व्यवसायी को शेष बगास की मात्रा विक्रय करने एवं अन्य समवर्ती सम्पूर्ण अधिकार।
4. किसी भी शर्त को शिथिल करने अथवा कोई अन्य शर्त आरोपित का सम्पूर्ण अधिकार।
5. निविदाकार/क्रेता के द्वारा बगास ई-निविदा तथा विक्रय आदेश में दिये गये शर्तों एवं नियम के तहत शक्ति की राशि जमा तथा उठाव निर्धारित समय सीमा में नहीं किये जाने की स्थिति में उक्त फर्म/निविदाकार/क्रेता को ब्लेकलिस्ट करने का सम्पूर्ण अधिकारी अध्यक्ष/प्रबंध संचालक/क्रय विक्रय समिति की होगी।



छ: - जमा अमानत/ई.एम.डी. राशि का विवरण :-

1. ई.एम.डी राशि अंकों में :- .....
2. ई.एम.डी राशि शब्दों में :- .....
3. जमा दिनांक :- .....
4. जमा विवरण :- .....
5. खाता नम्बर (कारखाने का जिसमें जमा किया गया) :- .....
6. बैंक का नाम (कारखाने का जिसमें जमा किया गया) :- .....

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही और सत्य है जिनके गलत पाये जाने पर कारखाना प्रबंधन द्वारा किसी भी स्तर पर निविदा/विक्रय आदेश निरस्त कर सकती है। शक्कर कारखाना द्वारा बगास विक्रय हेतु निर्धारित नियम/शर्त/प्रक्रियाओं को पढ़ और समझ लिया है जो मुझे मान्य है। मेरे द्वारा बगास क्रय हेतु निविदा दर लिफाफा-तीन व्यावसायिक भाग पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिनांक ...../...../2021



निविदाकार/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर  
नाम .....